"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलदार साहू पिता स्व. श्री बिसाहू राम साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-19 डी, सड़क नं. 32, सेक्टर-10, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में मेरी पत्नि का नाम त्रुटिवश श्रीमती गायत्री देवी दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम श्रीमती गायत्री साहू है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में पत्नि का सही नाम श्रीमती गायत्री साहू दर्ज करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पत्नि को श्रीमती गायत्री साहू पति श्री दिलदार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती गायत्री देवी पति-श्री दिलदार साहू निवासी-क्वाटर नं. 19 डी, सड़क नं. 32, सेक्टर-10 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती गायत्री साहू पति-श्री दिलदार साहू निवासी-क्वाटर नं. 19 डी, सड़क नं. 32, सेक्टर-10 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवदयाल पिता श्री बुधराम, उम्र 59 वर्ष, निवासी-सड़क नं. 25, सेक्टर-4, क्वाटर - 10 जी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में मेरी पत्नि का नाम त्रुटिवश श्रीमती राधिका बाई दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम श्रीमती राधिका है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में पत्नि का सही नाम श्रीमती राधिका दर्ज करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नि को श्रीमती राधिका पति श्री शिवदयाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती राधिका बाई पति-श्री शिवदयाल निवासी-सड़क नं. 25, सेक्टर 4, क्वाटर 10 जी, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती राधिका पति-श्री शिवदयाल निवासी-सड़क नं. 25, सेक्टर 4, क्वाटर 10 जी, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विमला भगत पत्नि श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर, उम्र 34 वर्ष, निवासी-इन्दिरा पारा भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह के पूर्व मैं कुमारी विमला भगत सुपुत्री श्री चमरू राम भगत के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती थी तथा मेरे समस्त स्कूली दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-11-2004 को श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर सुपुत्र श्री पुनीतराम ठाकुर के साथ सामाजिक रीति रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती विमला ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती विमला ठाकुर धर्मपत्नि श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विमला भगत सुपुत्री श्री चमरू राम भगत निवासी-क्वा. नं. एफ/132, बिजलीनगर, भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती विमला ठाकुर पत्नि श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर निवासी-इन्दिरा पारा, भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोजलिना खलखो (Rojlina Xalxo) ध. प. स्व. तेलेस्फोर खलखो (Late Telesphor Xalxo) उम्र 47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-25/बी, जी-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रोगलिना खलखो (Roglina Xalxo) लिखा गया है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रोजलिना खलखो रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे रोजलिना खलखो पति स्व. तेलेस्फोर खलखो के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रोगलिना खलखो (Roglina Xalxo) पति-स्व. तेलेस्फोर खलखो निवासी-क्वां. नं. 25/बी, जी पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	रोजलिना खलखो (Rojlina Xalxo) पति-स्व. तेलेस्फोर खलखो निवासी-क्वां. नं. 25/बी, जी पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

प्ररुप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

क्रमांक 2188/वाचक-1/2014.—यह की श्री संजय मिश्रा आ. स्व. रामबदन मिश्रा, निवासी बैरीपारा, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17-11-2014 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अतः मैं एन. एस. भगत अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17-11-2014 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	माँ काली मन्दिर न्यास, शंकरघाट, रामानुजगंज रोड, अम्बिकापुर तहसील-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये 2,100.00 (दो हजार एक सौ)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एन. एस. भगत,
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

सरायपाली, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक 321/क/वा-1/2014.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली के पंजीयन में रा.मा. क्र. 01/ब-113 वर्ष 2012-13 पर श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली ट्रस्ट का पंजीयन दिनांक 02-08-2013 को किया गया है. इस ट्रस्ट की सम्पत्ति अनुसूची इस प्रकार है :—

(अ) नगद राशि 10,001.00 (दस हजार एक) रुपये है.

(ब) अचल सम्पत्ति ख. नं. 682/2 का भाग कुल क्षेत्रफल 16868 वर्गफुट भूमि.

ट्रस्ट का परिवर्तित नाम — श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति सरायपाली ट्रस्ट.

ट्रस्टियों की संख्या —

1. श्री रामचंद्र अग्रवाल पिता स्व. विशम्भर अग्रवाल साकिन दुर्गा चौक सरायपाली
2. श्री रतनलाल अग्रवाल पिता स्व. दीनालाल अग्रवाल साकिन दुर्गा चौक सरायपाली
3. श्री राजेश मित्तल पिता स्व. काशीराम अग्रवाल निवासी जयस्तंभ चौक सरायपाली
4. श्री मदनलाल अग्रवाल पिता गजानंद अग्रवाल साकिन मेन रोड सरायपाली
5. श्री विश्वजीत गुप्ता पिता जयनारायण गुप्ता साकिन लक्ष्मीनारायण मंदिर मेन रोड सरायपाली
6. श्री आनंद गोयल पिता स्व. रामकुमार अग्रवाल साकिन अग्रसेन चौक सरायपाली
7. श्री सुखराज सिंह रवानी पिता माखनलाल रवानी निवासी संतोषीपारा मेन रोड सरायपाली
8. श्री आनंदबिलास पाणीग्राही पिता स्व. मधुमंगल पाणीग्राही निवासी संतोषीपारा मेन रोड सरायपाली
9. श्री समीर अग्रवाल पिता रेवाशंकर अग्रवाल साकिन मेन रोड सरायपाली

स्वाति श्रीवास्तव,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

मस्तूरी, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र.क्र./01/ब-113 (2)/2014-15

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

पंजीयक, लोक न्यास, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर के समक्ष

क्रमांक/721/अविअ/वाचक-1/2014-15.—चूंकि आवेदक प्रबंधक, छत्तीसगढ़ निषाद समाज समिति, मल्हार के अध्यक्ष श्री हीरासिंह कैवर्त एवं अन्य सभी निवासी ग्राम-मल्हार, प.ह.नं. 35, रा.नि.मं. व तहसील मस्तूरी ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20-11-2014 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं सुश्री दिव्या अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मस्तूरी, जिला बिलासपुर छ.ग., का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 20-11-2014 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"माँ डिड़िनेश्वरी मंदिर, ट्रस्ट" मल्हार, नगर पंचायत-मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, मल्हार में खाता क्रमांक-20226226581 एवं खाता क्रमांक 20226200981 में जमा कुल राशि 832529.40 रु. 2. मंदिर में सोना-चांदी एवं अन्य चल सम्पत्ति की अनुमानित राशि 847500.00.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

दिव्या अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/मा.चि./2014/94.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के अंतर्गत पार्क उप परिक्षेत्र अखवार के बीट-दुलारी प्रभारी श्री राजकुमार सिंह, वनरक्षक द्वारा दिनांक 27-09-2014 को वन भ्रमण के समय बीट हैमर क्रमांक GGNP 55 अज्ञात स्थान पर गुम हो गया है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हैमार क्रमांक GGNP 55 को संचालक कार्यालय के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उक्त हैमर की कीमत 475/- (चार सौ पचहत्तर) श्री राजकुमार सिंह वनरक्षक बीट प्रभारी दुलारी के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा बीट हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह निकटतम थाने अथवा विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.



एफ. टोप्पो,
भा.व.से., संचालक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/2156.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1195/दिनांक 15-10-2013 के द्वारा शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर (छ.ग.), पं. क्र. 98 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र. 98 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/2201.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1000/दिनांक 14-05-2008 के तहत् आशीर्वाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित गोड़पारा बिलासपुर छ.ग., पं. क्र. 3569 दिनांक 04-01-1995 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत आशीर्वाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित गोड़पारा बिलासपुर पं. क्र. 3569 दिनांक 04-01-1995 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/502.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2014/343 बालोद, दिनांक 08-08-2014 के तहत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. नर्राटोला पं. क्र. 2159 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री जी. आर. कलामें व.स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/503.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत लक्ष्मी उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मनोहरा पं. क्र. 2120 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री अमर सिंग साहू उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/504.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/689 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत गिरीराज खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. दल्लीराजहरा पं. क्र. 2537 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री अमर सिंग साहू उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.